

प्रस्तावना

INTRODUCTORY

सरकार के लेखे निम्नलिखित तीन भागों में रखे जाते हैं:-

भाग I समेकित निधि

भाग II आकस्मिकता निधि

भाग III लोक लेखा

भाग I अर्थात् समेकित निधि में दो प्रमुख प्रभाग हैं, अर्थात्:-

(1) राजस्व – इसमें 'प्राप्ति शीर्ष (राजस्व लेखा) और व्यय शीर्ष (राजस्व लेखा)' के भाग शामिल हैं।

(2) पूंजीगत – इसमें लोक ऋण, कर्जे आदि तथा 'प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा)' और 'लोक ऋण', 'कर्जे और पेशगियों' आदि के भाग शामिल हैं।

राजस्व प्रभाग का सम्बन्ध कराधान से होने वाली आय के लेखे और राजस्व के रूप में वर्गीकृत अन्य प्राप्तियों और उनमें से किए गए व्यय से है जिनका निवल परिणाम वर्ष के लिए राजस्व अधिशेष या घाटे को निरूपित करता है।

पूंजीगत प्रभाग में, 'प्राप्ति शीर्ष (पूंजीगत लेखा)' भाग का सम्बन्ध पूंजीगत प्रकार की प्राप्तियों से है जिसका उपयोग पूंजीगत व्यय को प्रतिसंतुलित करने में नहीं किया जा सकता है।

'व्यय शीर्ष (पूंजीगत लेखा)' भाग का सम्बन्ध भौतिक और स्थायी प्रकार की मूर्त परिसम्पत्तियों का सजन करने के उद्देश्य से अधिकांशतः उधार ली गई निधियों में से किए गए व्यय से अथवा सरकार से बाहर निवेश करने से है। इसमें पूंजीगत प्रकार की उन प्राप्तियों के लेखे भी शामिल हैं जो व्यय को प्रतिसंतुलित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं।

'लोक ऋण', कर्जे और पेशगियां आदि भाग में सरकार द्वारा लिए गए कर्जे और उनकी पुनः अदायगियां जैसे कि केन्द्र सरकार के 'आन्तरिक ऋण', और सरकार द्वारा दिए गए 'कर्जे और पेशगियां' (और उनकी वसूलियां) के लेखे शामिल हैं। इस भाग में 'आकस्मिकता निधि को विनियोग' और 'अन्तर्राज्यीय परिशोधन' से सम्बन्धित कुछ विशेष प्रकार के लेन-देन भी शामिल हैं।

लेखों के भाग-II अर्थात् आकस्मिकता निधि में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 के अधीन स्थापित आकस्मिकता निधि से संबंधित लेन-देन के लेखे दर्ज किए जाते हैं।

लेखों के भाग-III अर्थात् लोक लेखे में 'ऋण' (भाग I में शामिल ऋणों को छोड़कर अन्य ऋण), 'जमा', 'पेशगियां', 'प्रेषण', और 'उचंत' से सम्बन्धित लेन-देनों के लेखे दर्ज किए जाते हैं। इस भाग में 'ऋण', 'जमा', और 'पेशगियां' के अधीन वे लेन-देन दर्ज किए जाते हैं जिनके सम्बन्ध में सरकार, प्राप्त धन

The accounts of Government are kept in the following three parts:-

Part I Consolidated Fund

Part II Contingency Fund

Part III Public Account

In Part I, namely, Consolidated Fund, there are two main divisions, viz :-

(1) Revenue — Consisting of sections for 'Receipt heads (Revenue Account) and Expenditure heads (Revenue Account)'.

(2) Capital — Consisting of Public Debt, Loans, etc. and containing sections for 'Receipt heads (Capital Account)', and 'Public Debt', 'Loans and Advances etc.'

The Revenue division accounts for the proceeds of taxation and other receipts classed as revenue and the expenditure met therefrom, the net result of which represents the revenue surplus or deficit for the year.

In capital division, the section 'Receipt Heads (Capital Account)' accounts for the receipts of capital nature which cannot be set-off against capital expenditure.

The section 'Expenditure Heads (Capital Account)' accounts for the expenditure met mostly from borrowed funds with the object of creating concrete assets of a material and permanent character or investing outside the Govt. It also accounts for receipts of a capital nature as are set-off against expenditure.

The section 'Public Debt', Loans and Advances, etc., account for loans raised and their repayments by Government such as 'Internal Debt' of the Central Government and 'Loans and Advances' made (and their recoveries) by Government. This section also accounts for certain special transactions relating to 'Appropriation to the Contingency Fund' and 'Inter-State Settlement.'

In Part-II, namely, Contingency Fund, the accounts of transactions connected with the Contingency Fund established under Article 267 of the Constitution of India are recorded.

In Part-III, namely, Public Account, the accounts of the transactions relating to 'Debt' (other than those included in Part-I), 'Deposits', 'Advances', 'Remittances' and 'Suspense' are recorded. The transactions under 'Debt', 'Deposits' and 'Advances' in this part are such in respect of which

को वापस करने का दायित्व लेती है या अदा की गई राशियों को वसूल करने का दावा रखती है एवं इस भाग में प्राप्त राशियों ('ऋण' और 'जमा') की पुनर्अदायगियों और प्रदत्त राशियों (पेशगियों) की वसूलियां भी 'दर्ज' की जाती हैं। इस भाग में 'प्रेषण', जिसके अधीन खजाना और मुद्रा तिजोरी के नकदी प्रेषण विभिन्न लेखा परिमण्डलों आदि के बीच अंतरणों के लेखे, जैसे लेन-देन दर्ज होते हैं। इन शीर्षों में दर्ज प्रारम्भिक डेबिटों या क्रेडिटों का शोधन अन्ततः उसी लेखा परिमण्डल में या किसी अन्य लेखा परिमण्डल में तदनुसूची प्राप्तियों या अदायगियों द्वारा किया जाता है। लेखों में अन्तिम बुकिंग पर समायोजन के लिए अनिर्णीत लेन-देनों को उचत शीर्ष के अन्तर्गत दर्ज किया जाता है।

2. सेक्टर और लेखों के शीर्ष

ऊपर उल्लिखित भाग I के प्रत्येक भाग में लेन-देन को सेक्टर में समूहबद्ध किया जाता है। वे हैं प्राप्ति शीर्षों (राजस्व लेखा) के लिए 'कर राजस्व', 'कर-भिन्न राजस्व' व 'सहायता-अनुदान और अंशदान' और व्यय शीर्षों के लिए 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं' और 'सहायता अनुदान एवं अंशदान'। विशिष्ट कार्य अथवा सेवाओं को व्यय शीर्षों के सेक्टर (यथा सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत शिक्षा, खेल-कूद, कला और संस्कृति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, जल पूर्ति, सफाई, आवास और शहरी विकास) में समूहबद्ध किया जाता है। भाग III (लोक लेखा) में भी लेन-देनों को 'अल्प-बचत', 'भविष्य निधि', 'आरक्षित निधि' आदि जैसे सेक्टरों में समूहबद्ध किया जाता है। इन सेक्टरों को लेखे के मुख्य शीर्षों में उप-विभाजित किया जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ मामलों में, सेक्टरों को लेखे के मुख्य शीर्षों में विभाजित करने से पूर्व उप-सेक्टरों में उप-विभाजित किया जाता है।

मुख्य शीर्षों को लघु शीर्षों में विभाजित किया जाता है जिनमें से प्रत्येक के कई अधीनस्थ शीर्ष होते हैं, जिन्हें सामान्यतः उपशीर्ष कहा जाता है। उप-शीर्ष को पुनः ब्योरेवार शीर्षों में विभाजित किया जाता है। इनमें से प्रत्येक शीर्ष के अधीन व्यय को प्रभारित और स्वीकृत के बीच विभाजित करके दिखाया जाता है। कभी-कभी मुख्य शीर्षों को लघु शीर्षों में और आगे विभाजित किए जाने से पूर्व उन्हें उप-मुख्य शीर्षों में भी विभाजित किया जाता है। सेक्टर और उप-सेक्टर सम्बन्धी वर्गीकरण के अतिरिक्त मुख्य शीर्ष, उप-मुख्य शीर्ष, लघु शीर्ष, उप-शीर्ष, ब्योरेवार शीर्षों और वस्तुगत शीर्षों से मिलकर सरकारी लेखों के वर्गीकरण ढांचे की छह शीर्षीय व्यवस्था बनाते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि सामान्य लेखों में व्यय के विस्तृत वर्गीकरण के लिए निर्धारित मुख्य, लघु और उपशीर्ष अनिवार्यतः उन अनुदानों के उप-शीर्ष और आर्बटन की अन्य यूनिटों के समरूप हों, जो सरकार द्वारा संसद को प्रस्तुत की गई अनुदान की मांगों के लिए अपनाए गए हैं। परन्तु सामान्यतः अनुदानों की मांगों और वित्त लेखों के बीच कुछ सीमा तक बजट दस्तावेज में उपयुक्त परस्पर संदर्भ द्वारा यह संबंध रखा जाता है।

व्यय शीर्षों के सेक्टरों के अन्तर्गत आने वाले लेखों के मुख्य शीर्ष सामान्यतः सरकार के कार्यकलापों के अनुरूप होते हैं, जबकि उसके अधीनस्थ लघु शीर्ष, मुख्य शीर्ष द्वारा निरूपित कार्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनाए गए कार्यक्रमों से सम्बद्ध होते हैं। उप-शीर्ष योजनाओं, ब्योरेवार शीर्ष, उप-योजना और वस्तुगत शीर्ष वर्गीकरण के वस्तुगत स्तर के चोतक हैं।

Government incurs a liability to repay the moneys received or has a claim to recover the amounts paid, together with repayments of the former ('Debt' and 'Deposits') and the recoveries of the latter ('Advances'). The transactions relating to 'Remittances' in this Part account for remittance of cash between treasuries and currency chests, transfers between different accounting circles, etc. The initial debits or credits to these heads are cleared eventually by corresponding receipts or payments either within the same circle of account or in another account circle. The transactions pending adjustment on final booking in accounts are recorded under Suspense heads.

2. Sectors and Heads of Accounts

Within each of the sections in Part I mentioned above, the transactions are accounted for, grouped into sectors. They are 'Tax Revenue,' 'Non-Tax Revenue' and 'Grants in-aid and Contributions' for the receipt heads (revenue account), and 'General Services' 'Social Services', 'Economic Services' and 'Grants-in-aid and Contributions' for expenditure heads. Specific functions or services are grouped in a sector for expenditure heads(such as Education, Sports, Art and Culture ; Health and Family Welfare; Water Supply, Sanitation, Housing and Urban Development under Social Services). In Part III (Public Account) also, the transactions are grouped into sectors, such as Small Savings, Provident Funds, Reserve Funds etc. These Sectors are sub-divided into major heads of account. In some cases, the Sectors are, in addition, sub-divided into sub-sectors before their division into major heads of account.

The major heads are divided into minor heads, each of which has a number of subordinate heads, generally known as sub-heads. The sub-heads are further divided into detailed heads. Under each of these heads, the expenditure is shown distributed between charged and voted. Sometimes major heads are also divided into sub-major heads before their further division into minor heads. Apart from the Sectoral and sub-Sectoral classification, the Major Heads, Sub-Major Heads, Minor Heads, Sub-Heads, Detailed Heads and Object Heads together constitute a six-tier arrangement within the classification structure of Government Accounts. The major, minor and sub-heads prescribed for the detailed classification of expenditure in the general accounts are not necessarily identical with the description of sub-heads and other units of allotments in the grants which are adopted by Governments in the Demands for grants, presented to Parliament. But in general a good degree of correlation is maintained between the demands for Grants and the Finance Accounts, by suitable cross referencing in the budget documents.

The major heads of account, falling within the sectors for expenditure heads, generally correspond to functions of Government, while the minor heads, subordinate to them, identify the programmes undertaken to achieve the objectives of the function represented by the major head. The sub-head represents schemes, the detailed head, Sub-Scheme and object head, the object level of classification.

3. सांकेतिक वर्गीकरण पद्धति

मुख्य शीर्ष

मुख्य शीर्ष के लिए चार अंकों की एक संकेत संख्या निर्धारित की गई है, पहला अंक यह सूचित करता है कि मुख्य शीर्ष का संबंध प्राप्ति शीर्ष से अथवा राजस्व व्यय शीर्ष अथवा पूंजीगत व्यय शीर्ष अथवा कर्ज शीर्ष से है।

राजस्व प्राप्ति शीर्ष के कोड का प्रथम अंक '0' या '1' है। राजस्व प्राप्ति शीर्ष के प्रथम संकेत अंक में 2 जोड़ने से तदनुसूची राजस्व व्यय शीर्ष की निर्धारित संख्या प्राप्त होगी। पूंजीगत व्यय शीर्ष के लिए 2 अतिरिक्त रूप से जोड़े जाते हैं तथा कर्ज लेखा शीर्ष के लिए 2 और जोड़े जाते हैं। उदाहरण के लिए फसल कृषि कर्म शीर्ष के लिए 0401 संकेत संख्या प्राप्ति शीर्ष, 2401, राजस्व व्यय शीर्ष, 4401 पूंजीगत परिव्यय शीर्ष तथा 6401, कर्ज शीर्ष के द्योतक हैं।

तथापि, ऐसी पद्धति उन विभागों के लिए संगत नहीं है जहां पूंजी अथवा कर्ज शीर्ष के खाते नहीं बनाए जाते जैसे कि पूर्ति विभाग। कुछ मामलों में, जहां प्राप्ति/व्यय अधिक नहीं होते, कुछ मुख्य शीर्षों को एक ही संख्या के अंतर्गत मिलाया जाता है, उस संख्या के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष स्वयं उप-मुख्य शीर्ष बन जाते हैं।

उप-मुख्य शीर्ष

प्रत्येक मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत संकेत 01 से प्रारम्भ होने वाले कोड के लिए दो अंकों का संकेत निर्धारित किया गया है। जहां कोई उप-मुख्य शीर्ष नहीं है वहां '00' संकेत रखा गया है। नामावली 'सामान्य' को संकेत (कोड) '80' दिया गया है ताकि आगे भी उप-मुख्य शीर्ष जोड़े जाने पर 'सामान्य' के लिए संकेत अन्त वाला ही बना रहे।

लघु शीर्षों को तीन अंकों वाले संकेत (कोड) दिए गए हैं, ये संकेत प्रत्येक उप मुख्य शीर्ष/मुख्य शीर्ष (जहां कोई उप-मुख्य शीर्ष नहीं है) के अन्तर्गत '001' से शुरू होते हैं। कोड '001' से तथा कोड '750' से '900' तक कुछ संकेत मानक लघु शीर्षों के लिए आरक्षित किए गए हैं। लघु शीर्षों के लिए सांकेतिक वर्गीकरण पद्धति इस प्रकार से तैयार की गई है कि कुछ लघु शीर्ष जिनके विभिन्न मुख्य/उप मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत सामान्यतः एक ही नामावली है उनके सम्बन्ध में, जहां तक सम्भव हो, वहां वही तीन अंकों के संकेत अपनाए गए हैं।

वर्गीकरण की इस योजना के अन्तर्गत, प्राप्ति मुख्य शीर्ष (राजस्व लेखा) को 0020 से 1606 तक; व्यय मुख्य शीर्षों (राजस्व लेखा) को 2011 से 3606 तक, व्यय मुख्य शीर्षों (पूंजीगत लेखा) को 4046 से 5475 तक, 'लोक ऋण' के अन्तर्गत मुख्य शीर्षों को 6001 से 6004 तक और "कर्ज और पेशगियां" "अन्तर्राज्यीय परिशोधन" तथा "आकस्मिकता निधि को अन्तरण" को 6075 से 7999 तक की क्रमागत क्रमिक संख्याओं का एक समूह निर्धारित किया गया है। संकेत संख्या 4000 पूंजीगत प्राप्ति के मुख्य शीर्ष के लिए दी गई है। भाग II में 'आकस्मिकता निधि' के एकमात्र मुख्य शीर्ष 'आकस्मिकता निधि' को संकेत संख्या 8000 दी गई है। लोक लेखों के अधीन मुख्य शीर्ष को 8001 से 8999 तक की संकेत संख्याएं दी गई हैं।

3. Coding Pattern

Major Head

A four digit Code has been allotted to the Major Head, the first digit indicating whether the Major Head is a receipt head or Revenue Expenditure Head or Capital Expenditure Head or Loan Head.

The first digit of Code for Revenue Receipt head is either '0' or '1'. Adding 2 to the first digit Code of the Revenue Receipt Head will give the number allotted to corresponding Revenue Expenditure Head; adding another 2, the capital expenditure head; and adding another 2, the loan Head of Account. For example, for a Crop Husbandry head, code 0401 represents the receipt head; 2401, the revenue expenditure head, 4401, the Capital Outlay head and 6401, the Loan head.

Such a pattern is, however, not relevant for those departments which are not operating Capital or Loan heads of Accounts e.g. Department of Supply. In a few cases, however, where Receipt/Expenditure is not heavy, certain Major Heads have been combined under a single number, the Major Heads themselves forming Sub-Major Heads under that number.

Sub Major Head

A two digit code has been allotted, the code starting from 01 under each Major Head. Where no sub-major head exists, it is allotted a code '00'. Nomenclature 'General' has been allotted Code '80' so that even after further sub-major heads are introduced, the Code for 'General' will continue to remain the last one.

Minor Heads have been allotted a three digit code, the codes starting from '001' under each Sub-Major/Major Head (where there is no Sub-major head). Codes from '001' and few codes '750' to '900' have been reserved for certain standard Minor Heads. The coding pattern for Minor Heads has been designed in such a way that in respect of certain Minor Heads having a common nomenclature under various Major/Sub Major Heads, as far as possible, the same three digit code is adopted.

Under this scheme of codification, receipt major heads (revenue account) are assigned the block of numbers from 0020 to 1606; expenditure major heads (revenue account) from 2011 to 3606, expenditure major heads (capital account) from 4046 to 5475, major heads under 'Public Debt' from 6001 to 6004 and those under 'Loans and Advances', 'Inter -State Settlement' and 'Transfer to Contingency Fund' from 6075 to 7999. The code number 4000 has been assigned for Capital receipt major head. The only major head 'Contingency Fund' in Part-II, 'Contingency Fund' has been assigned the code number 8000. The major heads in the Public Account are assigned the code numbers from 8001 to 8999.

4. इन लेखों में शामिल लेन-देन मुख्य रूप में वित्तीय वर्ष अप्रैल से मार्च के दौरान वास्तविक रोकड़ प्राप्तियों और संवितरणों को सूचित करते हैं जो उस अवधि के दौरान सरकार को प्राप्त अथवा सरकार द्वारा देय राशियों से अलग होते हैं। तथापि, रोकड़ आधार प्रणाली (लेखाकरण की प्रोद्भूत प्रणाली के कान्ट्रा-डिसटिंक्शन में) लेन-देनों को दर्ज करने और वाणिज्यिक सिद्धान्तों पर चल रहे सरकारी वाणिज्यिक उपक्रमों की वास्तविक स्थिति बताने के लिए पूर्णतया उपयुक्त नहीं है। अतः उपक्रमों के इस श्रेणी के ब्यौरेवार लेखे नियमित लेखों से बाहर समुचित वाणिज्यिक रूप में रखे जाते हैं और इनकी भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग द्वारा लेखा-परीक्षा भी की जाती है।

5. इन लेखों में दिखाए गए वास्तविक आंकड़े, वसूलियों को हिसाब में लेने के बाद व्यय को पूरा करने के लिए स्वीकार्य निवल आंकड़े हैं। किन्तु संसद में प्रस्तुत की गई मांगों और विनियोग लेखे सकल व्यय के लिए होते हैं और उनमें प्राप्तियां तथा वसूलियां शामिल नहीं होती हैं, जिन्हें अन्यथा व्यय में कमी के रूप में लिया जाता है।

6. देश के विभाजन के परिणामस्वरूप, रोकड़ और विभिन्न ऋण शीर्षों, जमा राशियों के शीर्षों आदि के अन्तर्गत 14 अगस्त, 1947 को जो शेष था उन्हें दोनों देशों अर्थात् भारत और पाकिस्तान में आबंटित किया जाना आवश्यक था। पाकिस्तान सरकार के साथ इन शेषों का परिशोधन होने तक विभाजन पूर्व अवधि अर्थात् 1 अप्रैल, 1947 से 14 अगस्त, 1947 तक के लिए वित्त लेखों को तैयार किया जाना स्थगित करना पड़ा। जैसा कि 1947-48 (विभाजनोपरान्त) के लिए वित्त लेखों की रिपोर्ट के भाग ख-1 के पैरा 1 में उल्लेख किया गया है, वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करने के पश्चात् यह निर्णय किया गया है कि विभाजन-पूर्व अवधि के लिए लेखों के संवत् किए जाने पर भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच अन्तिम परिशोधन होने तक 15 अगस्त, 1947 को विभिन्न शीर्षों के अन्तर्गत अथशेषों का परिकलन 1947-48 (विभाजनोपरान्त) और परवर्ती वर्षों के लिए वित्त लेखों के प्रयोजन के लिए अनन्तिम आधार पर किया जाना चाहिए।

7. संघ सरकार के सिविल मंत्रालयों और विभागों के लेखों का विभागीकरण 1 अप्रैल 1976, 1 जुलाई, 1976, 1 अक्टूबर, 1976 तथा 1 अप्रैल, 1977 से चरणों में किया गया था तथा संघ राज्य क्षेत्रा, दिल्ली तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के लेखों का प्रशासन क्रमशः 1 अप्रैल, 1977 तथा 1 जून, 1980 को किया गया था। संघ सरकार के वित्त लेखों को वर्ष 1977-78 के बाद से वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किया जा रहा है। स्वतन्त्रता सेनानियों की पेंशनों तथा जागीरों, भूमियों आदि के पुनर्ग्रहण के बदले में पेंशनों सहित पेंशनों (सिविल) को भी वित्तीय वर्ष 1990-91 से विभागीकृत कर दिया गया था। भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक इस समय केवल (i) भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग, तथा (ii) संघ राज्य क्षेत्रा प्रशासन चंडीगढ़ और दादरा एवं नागर हवेली से संबंधित लेन-देनों के लेखों का अनुरक्षण करते हैं।

लेखों का विभागीकरण होने पर ऋण, जमा, उचंत और प्रेषण शीर्षों के अन्तर्गत विभिन्न महालेखाकारों की बहियों में लेखा शेषों को लेखों के विभागीकरण से पूर्व की तारीखों से मंत्रालयवार तथा विभागवार विभागीय लेखा बहियों में लिया गया था। ऐसे शेषों में से 8158 करोड़ रु. (निवल क्रेडिट) की तुलना

4. The transactions included in these accounts represent mainly the actual cash receipts and disbursements during the financial year April to March as distinguished from amounts due to or from Government during the same period. The cash basis system (in contra distinction to accrued system of Accounting) is, however, not entirely suitable for recording the transactions and presenting the true state of affairs of Government commercial undertakings run on commercial principles. The detailed accounts of this class of undertakings are, therefore, maintained outside the regular accounts in proper commercial form and also are subject to Audit by the Indian Audit and Accounts Department.

5. The figures of actuals shown in these accounts are net, after taking into account the recoveries as are permitted to be set off against expenditure. But the Demands presented to Parliament and the Appropriation Accounts are for gross expenditure and exclude the receipts and recoveries which are otherwise permitted to be set off in reduction of expenditure.

6. Consequent on the partition of the country, the balances on 14th August, 1947 under cash and various debt heads, deposit heads, etc., were required to be allocated between the two countries, viz., India and Pakistan. Pending a settlement of these balances with the Government of Pakistan, the preparation of Finance Accounts for the pre-partition period i.e. from the 1st April, 1947 to the 14th August, 1947 had to be deferred. As mentioned in paragraph 1 of Part B-I Report in the Finance Accounts for 1947-48 (Post-Partition), it was decided in consultation with the Ministry of Finance that pending the closing of the accounts for the pre-partition period and final settlement between the Government of India and Pakistan, the opening balance on the 15th August, 1947 under the various heads should be worked out on a provisional basis for the purpose of the Finance Accounts for 1947-48 (Post-Partition) and subsequent years.

7. The Accounts of the Civil Ministries and Departments of the Union Government were Departmentalised in stages w.e.f. 1st April, 1976, 1st July, 1976, 1st October, 1976 and 1st April, 1977 and of the Administrations of Union Territories of Delhi and Andaman and Nicobar Islands from 1st April, 1977 and 1st June, 1980 respectively. The preparation of the Finance Accounts of the Union Government from 1977-78 onwards are being done by the Ministry of Finance. Pensions (civil) including pensions to freedom fighters and pensions in lieu of resumed jagirs, lands etc. were also departmentalised with effect from financial year 1990-91. The Comptroller and Auditor General of India maintains, presently only the accounts of transactions relating to (i) the Indian Audit and Accounts Department and (ii) Union Territory Administration of Chandigarh and Dadra and Nagar Haveli.

On the departmentalisation of accounts, accounts balances in the books of the various Accountants General under debt, deposit, suspense and remittance heads on the dates prior to the dates of departmentalisation of accounts were taken over

में मात्रा 8205 करोड़ रु. (निवल क्रेडिट) के ही विवरण प्राप्त हुए और स्वीकार किए गए। 47 करोड़ रु. के निवल डेबिट शेष के समाशोधन, आबंटन और स्वीकृति या बट्टे खाते डाले जाने की कार्रवाई की जा रही है।

in the departmental accounts books Ministry-wise and Department-wise. Of such balances taken over, against sums amounting to Rs. 8158 crores (net credit) details for only Rs. 8205 crores (net credit) were received and accepted. Action is being taken to effect reconciliation, allocation and acceptance or write off of the remaining net debit balance of Rs. 47 crores.

8. विनिमय द्वारा हानि अथवा लाभ का समायोजन

(i) वर्ष 1991-92 से पूर्व, विदेशी मुद्रा के लेन-देनों के कारण उत्पन्न हुई विनिमय द्वारा हानि अथवा लाभ के लेखाकरण की पद्धति को आर्थिक कार्य विभाग की बहियों में केन्द्रीकृत किया गया था। निवल हानि अथवा लाभ को लेखे में मुख्य शीर्ष 2075/0075 के अन्तर्गत दर्शाया गया था। वर्ष 1991-92 से, इस लेखाकरण पद्धति में भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अनुमोदन से परिवर्तन कर दिया गया है। ऐसी हानि अथवा लाभ को अब संबंधित मंत्रालय/विभाग की बहियों में अन्तिम रूप से लेखाबद्ध किया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों द्वारा रुपया प्रतिभूतियों को भुनाए जाने तथा विदेशी ऋणों के संबंध में जो पूर्णतः चुकता कर दिए गए हैं, विनिमय विभिन्नता को शीर्ष '8680-विविध सरकारी लेखे-शेषों में संवत् होने वाले लेखा शीर्षों से बट्टे खाते डाले गए।' द्वारा मुख्य शीर्ष 6001/6002 के अन्तर्गत संगत लघु शीर्ष, उप शीर्ष जिसमें व्यय/पुनः अदायगी को डेबिट किया गया है, प्रति कान्ट्रा क्रेडिट द्वारा बट्टे खाते डाला जाता है।

(ii) एस डी आर का अधिग्रहण

एस डी आर के अधिग्रहण के लिए लेन-देनों से उत्पन्न हानि अथवा लाभ को शीर्ष 8012-विशेष जमा और लेखे-अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में एस डी आर-विनिमय दर विभिन्नता के अन्तर्गत लेखाबद्ध किया जाता है।

8. Adjustment of loss or gain by Exchange

(i) Prior to the year 1991-92, the procedure for the accounting of loss or gain by exchange arising out of transactions in foreign currencies were centralised in the books of Department of Economic Affairs. The net loss or gain was reflected under the Major Head 2075/0075 in the accounts. From 1991-92, this accounting practice has been, with the approval of C&AG of India, changed. Such losses or gains are now finally accounted for in the books of the respective Ministry/Department.

In respect of encashment of Rupee securities by International Financial Institutions as also in the matter of foreign loans that have been fully repaid the exchange variation is written off to "8680--Misc. Government Account---write off from heads of Accounts closing to balance" by per contra credit to the relevant Minor head, sub head under Major head 6001/6002 to which the Expenditure/repayment stands debited.

(ii) Acquisition of SDRs

The loss or gain arising out of transactions for acquisition of SDRs is to be accounted for under the head 8012-Special Deposit and Accounts - SDR at the IMF- Exchange Rate variation.